[8/7/2024] परिशिष्ट - "अ" (1) से (2)

प्रश्न सं. [क्र. 1998]

मध्यपदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 630 /पं.ग्रा.वि.वि./2022/ भोपाल, दिनांक 28/06 2022

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत - समस्त, म.प्र.।

विषय - पंचायत क्षेत्र में संपत्ति कर निर्धारण एवं कर संकलन के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी स्वयं की आय में निरंतर वृद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में ग्राम सभा तथा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न अनिवार्य एवं वैकल्पिक कर तथा फीस आदि अधिरोपित तथा संकलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण जनसुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु इन करों तथा फीस आदि का अधिरोपण एवं संकलन अतिआवश्यक हो गया है। इस अनुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अनिवार्य करों में सम्मिलित "संपत्ति कर" है।

इस संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 77 क के द्वारा संपत्ति कर को ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अनिवार्य कर में सम्मिलित करते हुए अनुसूची 1-क में प्रावधानित किया गया है कि -

(1) निम्नलिखित से भिन्न भूमियों या भवनों या दोनों पर, जिनका पूंजी मूल्य भूमि के मूल्य को सम्मिलित करते हुए, छह हजार रुपये से अधिक हो, संपत्ति कर -

(क) संघ या राज्य सरकार, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला परिषद के स्वामित्व के या उसमें निहित भवन तथा भूमियां

(ख) अनन्यरूपेण धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाने वाले भवन तथा भूमियां या उनका कोई भाग जिनके अंतर्गत बोर्डिंग हाउस भी हैं।

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

(2)

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त निजी आवासीय एवं व्यवसायिक संपतियों के साथ-साथ ऐसे समस्त संस्थान जो कि निगम, मण्डल, कंपनी, बोर्ड, ट्रस्ट एवं प्राधिकरण आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि विद्युत वितरण कंपनियां, पर्यटन विकास बोर्ड, वनोपज सहकारी संघ, औधोगिक विकास निगम, खनिज विकास निगम, कृषि विपणन बोर्ड आदि की पंचायत क्षेत्र में स्थित संपतियों को भी संपत्ति कर निर्धारण एवं संकलन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावे।

(उमाकांत उमराव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

पृ. क्रमांक/ 631 /पं.ग्रा.वि.वि./2022/
भोपाल, दिनांक 28/06.2022

प्रतिलिपि -

संचालक सह-आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट - 'ब' (५)

पंचायत राज आदर्श ग्राम

कार्यालय ग्राम पंचायत सुरासा

जनपद पंचायत घट्टिया जिला उज्जैन (म.प्र.)

सरपंच

श्रीमति रूपा-मनोज सोलंकी

मो.नं. -9827069280

क्र...../ग्रा.पं./पंचा./2024/ /3/08 **अंतिम सूचना पत्र** दिनांक 12/06/2024

प्रति

प्रबन्धक

सी.आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज

ग्राम -सुरासा

विषय :- संपत्तिकर जमा करने बाबद

संदर्भ :-क्रमांक-1-कार्यालय ग्राम पंचायत सुरासा द्वारा जारी पूर्व सूचना पत्र क्रमांक /ग्रा.पं./कर/2023/06 दिनांक 28/03/2023 एवं क्रमांक /ग्रा.पं./कर/2023/13 दिनांक 14/03/2023 एवं क्रमांक /ग्रा.पं./पंचा.//04/12 दिनांक 01/04/2023

क्रमांक 2.-मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 630/प.ग्रा.वि.वि.2022 दिनांक-28/06/2022

उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको पूर्व में अवगत करवाया गया है कि आप अपना बकाया संपतिकर ग्राम पंचायत मे जमा करवाए आपको पूर्व मे संदर्भित पत्रों केई माध्यम शासन केई समस्त दिशा निर्देश एवं नियम भी बताए गए किन्तु आपके द्वारा अपनी मर्जी से नियमों की व्याख्या कर संपतिकर जमा नहीं किया जिससे प्रतीत होता है कि आप ग्राम पंचायत के कर जमा करने के प्रति गंभीर नहीं होकर स्थानीय शासन के नियमो का उलघन विगत कई वर्षो से कर रहे है आपको पूर्व मे संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए लेख किया गया है किन्तु आपके द्वारा वो भी प्रस्तुत नहीं किया गया उल्लेखित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करने की दशा मे वर्तमान मे आपकी संस्था का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार एवं निर्मित संपति के शासकीय गाइड लाइन मूल्य अनुसार आपकी संस्था को वर्तमान एवं विगत 20 वर्षो का संपतिकर निम्नानुसार अधिरोपित किया गया है

क्रमांक	संस्था का नाम	वर्तमान संपतिकर	पिछला बकाया	योग
1.	सी.आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज	8397993/-	167959860/-	176357853/-

शब्दों में राशि :- सत्रह करोड़ तिरसठ लाख सत्तावन हजार आठ सौ तिरपन रुपए मात्र

अतः आपको अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्तानुसार कर की राशि मय ब्याज के आगामी 07 दिवस में ग्राम पंचायत के खाते में जमा कर रसीद प्राप्त करे अन्यथा उपरोक्त कर की राशि मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 81 के अनुसार भू -राजस्व बकाया के समान वसूली हेतु प्रस्ताव भेजा जावेगा जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी।

सरपंच
ग्राम पंचायत सुरासा
रूपा
सरपंच
ग्राम पंचायत सुरासा
ज.पं. घट्टिया जि. उज्जैन

सचिव
ग्राम पंचायत सुरासा
ज.पं. घट्टिया जि. उज्जैन

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश